तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय दस्तखत जज
	राजस्व आवेदन संख्या 190/2019 अनवान हुसैन खां बनाम राजस्थान सरकार
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत कुड़ला पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.10.2021 को राजकीय माध्यमिक विधालय कुड़ला पर पेश हो। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
12.10.2021	पत्रावली राजकीय माध्यमिक विधालय कुड़ला मे पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी का ग्राम बेरीवाला तला खाता संख्या 150 खसरा नंबर 08 836/9, 837/9, 838/11 एवं 840/17 मे नाम हुसैन खां पुत्र फाजल खां जाति मुसलमान दर्ज है। जबकि मजमे आम में बताई गई बंशावली निम्न प्रकार है।

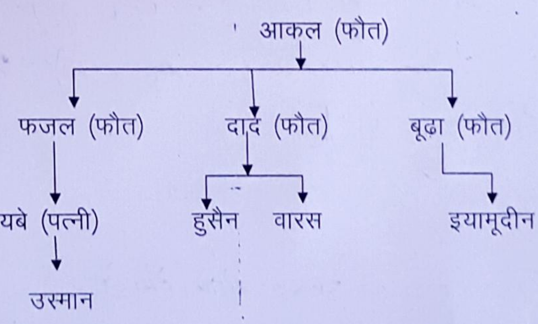

परन्तु सायबों पत्नी फाजल के फौत होने पर ग्राम कुड़ला के नामान्तरकरण संख्या 286/10.12.1978 में उस्मान हुसैन पि0 फाजल दर्ज किया गया जबकि हुसैन के पिता का नाम दाद था। भूलवंश उस्मान के साथ हुसैन का नाम दर्ज हो गया। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेज मे पिता का नाम दाद ही दर्ज है अन्य भूमि मे भी हुसैन पुत्र दाद दर्ज है। दाद के फौत होने पर ग्राम बेरीवाला गांव के नामान्तरकरण संख्या 32 में उसके स्थान पर वारस खां हुसैन पि0 दाद दर्ज किया गया परन्तु ग्राम पंचायत ने केवल वारस खां के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। मजमें आम में भी पूछताछ में बताया कि हुसैन पुत्र फाजल नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। हुसैन के पिता का नाम दाद ही है।

प्रार्थी द्वारा फाजल के फौतगी नामान्तरकरण मे अपना नाम उसके वारिस के रूप मे दर्ज करवाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निराधार होने से खारिज किया जाता है। निर्णय मजमेआम में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

हुसैन
उस्मान
वारसखा
ईमामदीन